पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 74/आ०प्र० दिनांक 21.01.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में **राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड पी० 2245807890101, विषय शीर्ष– 20 03 प्रशिक्षण व्यय मद् में 3,43,000.00 (तीन लाख तैंतालीस हजार) रूपये** का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 180/आ०प्र० दिनांक 03.02.14 के आलोक में अंचल अधिकारी, पटना सदर, अंचल अधिकारी, दानापुर तथा अंचल अधिकारी, बाढ़ को निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013–14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माँग संख्या – 39 **राज्य योजना स्कीम कोड DIS-5332**

(रूपया में)

क्रमांक	आवंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01.	**अंचल अधिकारी, पटना सदर**	**0.00**	**134220.00**	**134220.00**
02.	**अंचल अधिकारी, दानापुर**	**0.00**	**104390.00**	**104390.00**
03.	**अंचल अधिकारी, बाढ़**	**0.00**	**104390.00**	**104390.00**
	कुल :–	**0.00**	**343000.00**	**343000.00**

1. उपावंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में **राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड पी० 2245807890101 राज्य योजना स्कीम कोड DIS-5332 विषय शीर्ष– 20 03 प्रशिक्षण व्यय मद्** में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 180/आ०प्र० दिनांक 03.02.14 के आलोक में बाढ़ प्रवण एवं भूकंप जोन IV में अवस्थित पटना जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के क्षमता निर्माण हेतु भूकंप एवं बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षण हेतु निर्गत किया जा रहा है।
3. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-25/13-14 189 /आ०प्र०, दिनांक 05/02/2014

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, पटना सदर/दानापुर एवं बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर एवं बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 74/आ०प्र० दिनांक 21.01.2014 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।